Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निगरानी/पी डी आर/4847/2003/नागौर **मुगनाराम बनाम अधिशाषी अभियन्ता**	
05-3-18	**एकल–पीठ** **श्री धूकलराम कसवॉ, सदस्य** **उपस्थितः–** (1) श्री एस.पी.सिंह अधिवक्ता प्रार्थी। (2) श्री डूंगर सिंह अभिभाषक अप्रार्थी **निर्णय दिनांक :** यह निगरानी राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के निर्णय दिनांक 30–7–03 के विरूद्ध पी डी आर एक्ट की धारा 23 बी के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई हैं। 2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी के विरूद्ध अधिशाषी अभियन्ता राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड नागौर द्वारा रूपये 57112/– की वसूली हेंतु अतिरिक्त जिला कलेक्टर नागौर के न्यायालय में वाद दायर किया। जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 31–5–02 से बकाया राशि की वसूली को विधिसम्मत मानते हुये प्रार्थी से बकाया राशि वसूल करने हेतु तहसीलदार मेडता सिटी को आदेश दिये। इससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 30–7–03से अपील खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर यह निगरानी मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है। 3– उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। 4– प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने निगरानी मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि अतिरिक्त जिला कलेक्टर नागौर ने अपने समक्ष दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया एवं सरसरी तौर पर आक्षेपित निर्णय पारित कर दिया। प्रार्थी एवं अप्रार्थी के मध्य संविदा हुई थी उसमें वर्णित शर्तो की पूर्ण पालना प्रार्थी द्वारा की गई है। अप्रार्थी ने ही शर्तो की पालना नहीं की है। इस प्रकार संविदा किस पक्षकार द्वारा भंग की गई है इसका विनिश्चय सिविल वाद द्वारा सिविल न्यायालय ही कर सकती है। पी डी आर एक्ट के तहत ऐसे करार के विनिश्चय का निस्तारण	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/पी डी आर/4847/2003/नागौर</u>** **<u>मुगनाराम बनाम अधिशाषी अभियन्ता</u>**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी अपने कार्य को करने में हमेशा समय पर तत्पर रहा है परन्तु अप्रार्थी अधिशाषी अधिकारी ने ही उसके कार्यो में हमेशा अडचनें उत्पन्न की थी तथा सही समय पर प्रार्थी को मेटेरियल उपलब्ध नहीं कराया। इस प्रकार संविदा की शर्तो की पालना अप्रार्थी स्वयं द्वारा नहीं की गई है। इस कारण प्रार्थी के विरूद्ध कोई राशि वसूली योग्य नहीं रहती है। इसलिये प्रार्थी के विरूद्ध प्रारम्भ की गई वसूली की कार्यवाही को खारिज किया जावे।

5– बहस के खण्डन में विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थी ने कार्य समय पर नहीं कर शर्तो की अवहेलना करने के कारण वसूली योग्य राशि निकाली गई है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने अपने समवर्ती निष्कर्षो में इस बाबत पूर्ण विवेचन किया है इसलिये निगरानी खारिज किये जाने येाग्य है।

6– हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अनुबन्ध संख्या 25 वर्ष 1994–95 के अनुसार सम्पर्क सडक रेण से जावली के निर्माण का कार्य 22–9–94 से प्रारम्भ कर दिनांक 21–5–95 तक प्रार्थी को पूर्ण करना था। इस सम्बन्ध में प्रार्थी का यह कथन रहा है कि उसे कार्य आदेश काफी समय पश्चात मिला। कार्यादेश कब और कितने विलम्ब से मिला, इस तथ्य को प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रमाणित नहीं किया गया है। प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य हुये इकरार के अनुसार कार्य को निर्धारित अवधि में पूर्ण करने का उत्तरदायित्व प्रार्थी का था। यदि प्रार्थी कार्य को पूर्ण नहीं करेगा तो शेष अधूरे कार्य को पूर्ण करवाने में हुये व्यय व क्षतिपूर्ति की राशि एग्रीमेन्ट के क्लाज 2 व3 के अनुसार प्रार्थी अप्रार्थी विभाग को भुगतान करेगा और ऐसी राशि एग्रीमेन्ट के क्लाज 50 के अनुसार अप्रार्थी विभाग पी डी आर एक्ट के अन्तर्गत प्रार्थी से वसूल कर सकेगा। प्रार्थी बाकीदार उक्त एग्रीमेन्ट की पूर्व में दी गई अपनी स्वीकृति से एस्टोप्ड है। इसलिये दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्षो

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/पी डी आर/4847/2003/नागौर</u>** **<u>मुगनाराम बनाम अधिशाषी अभियन्ता</u>**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	में हम निगरानी के स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। 8– उपरोक्त विवेचन के अनुसरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(धूकलराम कसवाँ)** **सदस्य**	